संख्या- 34 /2019/691/71-2-2019-24/2018

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व लेखा पक्ष में असाध्य रोग के निःशुल्क उपचार हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-एमई/बजट/2018-19/878, दिनांक 13-3-2019 व पत्रांक-एमई/बजट/2018-19/931, दिनांक 27-3-2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में लेखा शीर्ष 2210-05-105-03-66-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में रू0 883.00 लाख की हो रही सम्भावित बचत की धनराशि को पुनर्विनियोग के माध्यम से किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ को, संलग्न प्रपत्र-बीएम-9 में उल्लिखित मानक मद ''20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)'' में 883.00 लाख (रूपया आठ करोड तिरासी लाख मात्र) संक्रमित कर, संक्रमित धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि को व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि को किसी बैंक/पोस्ट आफिस अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय वृहद निर्माण मद में ही किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन अनियमितता होगी।

3- स्वीकृत धनराशि का उपभोग समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा तथा धनराशि का उपयोग नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0 द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- वित्त बजट-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-3-2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपभोग प्रमाण पत्र शासन/महालेखाकार यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

7- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है उसमें इस वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग पुनः नहीं की जायेगी तथा जिस मद में धनराशि संक्रमित की जा रही है, उसका उपयोग इसी मद में इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

8- बचत की धनराशि की उपलब्धता का पूर्ण दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 तथा विश्वविद्यालय के कुलसचिव/वित्त अधिकारी का होगा।

9- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में लेखा शीर्ष "2210-05-105-03-66-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में रू0 883.00 लाख, के अंतर्गत

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

होने वाली बचत को पुनर्विनियोग करते हुए लेखा शीर्ष ''2210-05-105-03-0368-असाध्य रोगों के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/233/दस-2019, दिनांक 30 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 34/2019/691/71-2-19-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3) कुलसचिव/वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4) संबंधित कोषाधिकारी, लखनऊ।
5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/1
6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।